

**Dr. Babasaheb Ambedkar
Marathwada University**

Aurangabad – 431 004, Maharashtra, India
NACC Re-accredited 'A' Grade
Office PBX : (0240) 24033900/400
Office Tele : (0240) 2403218 / 2403223

Affiliation : (0240) 2403118/2403119/2403115

Web Site : www.bamu.ac.in
http://bamua.digitaluniversity.ac



स्थापना वर्ष : १९५८

**डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
मराठवाडा विद्यापीठ,**

औरंगाबाद- ४३१ ००४, महाराष्ट्र, भारत

नॅक समितीतर्फे 'अ' दर्जा प्राप्त

Office : Academic Section

कार्यालय :- शैक्षणिक विभाग (संलग्नीकरण)

संदर्भ क्र. : शैक्ष/ संलग्न/ २०१७-१८/२५९७७

दि. १४-०३-२०१८

प्रति,
अध्यक्ष / सचिव,
नविन महाविद्यालयासाठी प्रस्तावित संस्था,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ,
औरंगाबाद.

विषय :- शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून नविन महाविद्यालयांसाठी अंतिम मान्यताकरीता दि.२८-०२-२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये इरादापत्र मिळालेल्या महाविद्यालयांना सादर करावयाच्या प्रस्तावाबाबत.

संदर्भ :- १) शासन निर्णय दि. २८-०२-२०१८.
२) शासन निर्णय दि. १५-०९-२०१७.
३) शासन पत्र दि. ३०-११-२०१७.
४) शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ साठीचा बृहत आराखडा.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भिय विषयाच्या अनुषंगाने मा. प्र-कुलगुरु महोदयांच्या आदेशानुसार आपणास कळविण्यात येते की, संदर्भिय शासन निर्णय क्र. (०१) अन्वये नविन महाविद्यालयासाठी इरादापत्र प्राप्त झालेल्या संस्थांना नविन महाविद्यालय सुरु करणेबाबत शासनातर्फे अंतिम मान्यता मिळण्याकरीता दि. २८-०२-२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमुद विशेष अटी व शर्ती पूर्तता करत असल्याबाबत अहवाल, शासन निर्णय दि. १५-०९-२०१७ मधील परिशिष्ट क व परिशिष्ट ड मध्ये नमुद सर्व आवश्यक दस्ताऐवजासह अनुपालन अहवाल ०४ प्रती मध्ये दि. २८-०३-२०१८ पुर्वी या कार्यालयास सादर करण्यात यावा.

सोबत :- वरिलप्रमाणे.

उपकुलसचिव
(शैक्षणिक विभाग)

*** परिशिष्ट-क ***

संस्थेचे नाव :-
ठिकाण :-

विद्यापीठाचे नाव : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद
विद्याशाखा :-

| अ.क्र. | नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता देताना विचारात घ्यावयाची तपासणी सूची | पूर्ततेचा तपशील (होय/ नाही) | पृष्ठ क्रमांक |
|--------|--|-----------------------------|---------------|
| १. | नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी शासनाने दिलेले इरादापत्र. | | |
| २. | नवीन महाविद्यालयाच्या अंतिम मान्यता मिळवण्यासाठी संबंधित संस्थेने सादर केलेला अनुपालन अहवाल | | |
| ३. | इरादापत्रामध्ये विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता झाली असल्याचे संस्थेने दिलेले व विद्यापीठाने प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र. | | |
| ४. | चालू वर्षाच्या तपशीलवार अंदाजपत्रकाची अंदाजपत्रकाची प्रत. | | |
| ५. | संस्थेच्या मागील वर्षाच्या लेखापरीक्षण अहवालाची प्रत. | | |
| ६. | इरादापत्र देण्याकरिता जे जमिनीचे (स्वतःची किंवा भाडेतत्वावर) निकष विहित केलेले आहेत, ती जमीन अकृषक (संस्थेच्या नावावर किंवा संस्थेच्या नावे भाडेतत्वावर असलेल्या) असल्यासंदर्भातील कागदपत्रे. | | |
| ७. | अ) इमारत (स्वतःची) संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर प्राधिकरणाचे प्रमाणित उतारे ब) इमारत (भाड्याची) (नोंदणीकृत भाडेकरार) (सोबतच्या परिशिष्ट -“ड” मध्ये सर्वसाधारण वर्ग खोली व इतर क्षेत्रफळाचा तपशील सोबत जोडला आहे.) १) शैक्षणिक व प्रशासकीय इमारत १.१) प्राचार्य कक्ष १.२) कार्यालय १.३) इलेक्ट्रॉनिक्स / संगणक प्रयोगशाळा १.४) रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा १.५) पदार्थ विज्ञान प्रयोगशाळा १.६) जीवशास्त्र प्रयोगशाळा १.७) ग्रंथालय १.८) लेडीज रूम १.९) रेकॉर्ड रूम १.१०) नॅक रूम १.११) स्टाफ रूम १.१२) सभागृह १.१३) मोठे व्याख्यान कक्ष १.१४) टॉयलेट ब्लॉक | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | <p>१.१५) व्हरांडा १.१६) एन.सी.सी. रूम १.१७) एन.एस.एस. रूम २) २.१) पाणी सुविधा (पाणी पट्टी पावती) २.२) वीज सुविधा (वीज देयकाची प्रत) २.३) ड्रेनेज सुविधा (स्थानिक प्राधिकरणाचे नकाशासह प्रमाणपत्र) ३) हॉस्टेल सुविधा (परिसरात २०% विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय असल्याचे प्रमाणपत्र)</p> | | |
| ८. | प्रस्तावित महाविद्यालयाच्या इमारतीत सेमिनार रूम, लेक्चर रूम, फॅक्टरी रूम, स्टाफ रूम, प्राचार्यांची रूम, कॉमन रूम, हॉस्टेल रूम इत्यादी ठिकाणी आवश्यक फर्निचर. | | |
| ९. | ७ (अ) व (ब) मधील १ व २ साठी फर्निचर (खरेदी केल्याची अधिकृत पावती) उपलब्धतेबाबत विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र. | | |
| १०. | ग्रंथालयात पुस्तकांची सुविधा (मागणी केलेल्या विद्याशाखेशी संबंधित किमान ५०० पुस्तके खरेदी केल्याची अधिकृत पावती) उपलब्धतेबाबत विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र | | |
| ११. | महाविद्यालयाच्या प्रयोगशाळेत निर्धारित आवश्यक सामग्री (किमान रु. १.०० लाख प्रत्येक विषयासाठी राखीव) | | |
| १२. | प्रस्तावित महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना खेळण्याची सोय, कॅन्टीन, हेल्थ केअर सुविधा. | | |
| १३. | संबंधित संस्था प्रस्तावित महाविद्यालयाकरिता क्रीडांगण भाड्याने वापरणार असल्यास रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर नोंदणीकृत भाडेकराराची साक्षांकित प्रत. | | |
| १४. | प्रथमतः महाविद्यालय भाडेतत्वावरील इमारतीत सुरु केले जाणार असेल तर प्रथम संलग्नीकरण मिळाल्यापासून ५ वर्षांमध्ये महाविद्यालय ज्या ठिकाणासाठी मंजूर झाले आहे, त्या ठिकाणी स्वतःच्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित करणार असल्याबाबतचे हमीपत्र. | | |
| १५. | शासनाचे कायम विना अनुदानित धोरण लक्षात घेता, अर्जासोबत मंजूर करण्यात येणाऱ्या नवीन महाविद्यालयासाठी नियमानुसार वेतन व वेतनेतर खर्च संस्था करणार असल्याबाबतचे रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर नोंदणीकृत हमीपत्र. | | |
| १६. | नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागणाऱ्या संस्थेच्या सद्यस्थितीत अस्तित्वात असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच, शासनाने विहित केलेल्या निकषांनुसार अ) मुलभूत व भौतिक सुविधा उपलब्ध आहेत. ब) अर्हताधारक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपलब्ध आहेत. याबाबत संस्थेचे संबंधित अकृषी विद्यापीठाने प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र. | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| १७. | प्रस्तावित महाविद्यालयामध्ये अर्हताधारी शिक्षक व शिक्षेकेत्तर कर्मचारी नियुक्तीसंदर्भात संस्थेने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती. | | |
| १८. | नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागणाऱ्या संस्थेच्या सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असणारी महाविद्यालये इरादापत्राच्या कालावधीत मुल्यांकन/ पुनर्मुल्यांकनाकरिता पात्र ठरली असल्यास नॅक / एनबीए मानांकन व मुल्यांकन, पुनर्मुल्यांकन करून घेण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरु केली असल्याचे प्रमाणपत्र. | | |

परिशिष्ट - "ड"

परिशिष्ट "क" मधील अ.क्र. ७ (अ) व (ब) साठी कक्षनिहाय किमान आवश्यक क्षेत्रफळ

| अ.क्र. | कक्षाचे नाव | नग | क्षेत्र प्रती नग | एकूण क्षेत्र | कला/विधी / शिक्षण शाखा | वाणिज्य | विज्ञान | कला + वाणिज्य | कला + विज्ञान | वाणिज्य + विज्ञान | कला, वाणिज्य, विज्ञान |
|--------|---------------------------------|-------|------------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| १) | प्राचार्य कक्ष | १ | २० X २५ | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० |
| २) | कार्यालय | १ | ३० X २० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० |
| ३) | इलेक्ट्रॉनिक / संगणक प्रयोगशाळा | १ | २० X ३० | ६०० | -- | -- | ६०० (०) | -- | ६०० (०) | ६०० (०) | ६०० (०) |
| ४) | रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा | १ | ३० X ४० | १२०० | -- | -- | १२०० | -- | १२०० | १२०० | १२०० |
| ५) | पदार्थ विज्ञान प्रयोगशाळा | १ | ३० X ४० | १२०० | -- | -- | १२०० | -- | १२०० | १२०० | १२०० |
| ६) | जीवशास्त्र प्रयोगशाळा | १ | ३० X ४० | १२०० | -- | -- | १२०० | -- | १२०० | १२०० | १२०० |
| ७) | ग्रंथालय | १ | २० X ३० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० |
| ८) | एनसीसी रूम | १ | २० X १५ | ३०० | ३०० (०) | ३०० (०) | ३०० (०) | ३०० (०) | ३०० (०) | ३०० (०) | ३०० (०) |
| ९) | एन. एस. एस. रूम | १ | २० X १५ | ३०० | ३०० (०) | ३०० (०) | ३०० (०) | ३०० (०) | ३०० (०) | ३०० (०) | ३०० (०) |
| १०) | लेडीज रूम | १ | १० X १५ | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० |
| ११) | बॉयस रूम | १ | १० X १५ | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० |
| १२) | नॅक रूम | १ | १० X १५ | १५० | १५० (०) | १५० (०) | १५० (०) | १५० (०) | १५० (०) | १५० (०) | १५० (०) |
| १३) | स्टाफ रूम | १ | २० X ३० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० |
| १४) | सभागृह | १ | ४० X ३० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० |
| १५) | मोठे व्याख्यान कक्ष | ३/६/९ | | ९०० | २७०० | २७०० | २७०० | ५४०० | ५४०० | ५४०० | ८१०० |
| १६) | टॉयलेट ब्लॉक | ४ | १० X १५ | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० |
| १७) | व्हारांचा | १ | किमान ५ फुट रुंद | | २१०० | २४०० | ३३०० | ३००० | ३८०० | ४१०० | ४६५० |
| | एकूण (किमान आवश्यक क्षेत्रफळ) | | | १०२५० | ९२०० | ९५०० | १४००० | १२८०० | १७२०० | १७५०० | २०७५० |

* व्यावसायिक महाविद्यालयासाठी स्वतंत्र शिबिर संस्था / केंद्रीय नियामक मंडळे असल्यास अशा शिबिर संस्था / केंद्रीय नियामक मंडळाच्या नियमानुसार त्यांनी विहित केलेल्या आवश्यक भौतिक सुविधा व शैक्षणिक सुविधांचे निकष त्यांना लागू राहतील.